बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

देश भर में जन कल्याणकारी एवं मानव विकास में सुधार के लिए चलाये जा रहे अनेक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों के जमीनी, प्रभावी एवं समयबद्ध निष्पादन हेतु जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) का गठन किया गया है। दिशा का मूल उद्देश्य संसद, राज्य विधान मंडलों और स्थानीय सरकारों (पंचायती राज संस्थाओं/नगरपालिका निकायों) के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करना है। इसके लिए जिला स्तर पर समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। दिशा की संरचना के लिए निर्धारित दिशा-निर्देश के अनुसार वर्तमान में विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है, जबकि जिला के निर्वाचित विधान सभा सदस्य समिति के सदस्य होते हैं। जिन राज्यों में विधान परिषद् नहीं है, वहां तो इस दिशा-निर्देश से कोई फर्क नहीं पड़ता, परन्तु बिहार जैसे राज्य में जहां कि विधान परिषद् विकास से संबंधित नीति-निर्धारण में अहम भूमिका निभाता रहा है परिषद् के माननीय सदस्यों की अनदेखी अनुचित है।

अतः राज्य सरकार के द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यों को भी दिशा का सदस्य नामित करने हेतु प्रस्ताव भेजने के संबंध में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./-रजनीश कुमार

स.वि.प.

ज्ञापांक- बि.प.अ.प्र-146/2018 – 659 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 20.03.2018

प्रतिलिपिः- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/मुख्य सचिव,बिहार/संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ योजना एवं विकास विभाग,बिहार/ ग्रामीण कार्य विकास विभाग,बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग,बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-23.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 20.03.2018

(नवल किशोर सिंह)

अवर सचिव

बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में वर्ष 2015 से 2017 के दौरान छः पत्रकारों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। इस निर्मम हत्या से पत्रकारों के बीच भय का माहौल व्याप्त है। राज्य में हो रही घटित घटनाओं के आकलन करने में पत्रकार एवं छायाकार भयभीत एवं आतंकित हैं। विगत दो वर्षों के दौरान सीतामढ़ी के अजय विद्रोही, गया के मिथिलेश पांडेय, सीवान के राजदेव रंजन, समस्तीपुर के ब्रजेश कुमार, सासाराम के धर्मेन्द्र सिंह और फुलवारी शरीफ (पटना) के सुधीर कुमार सिंह पत्रकारों की हत्या हो चुकी है। साथ ही बड़े पैमाने पर पत्रकारों को पुलिस एवं प्रशासनिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ रहा है और अब तक दर्जनों पत्रकार, आपराधिक वारदात की भेंट चढ़ चुके हैं फिर भी इन्हें न तो न्याय मिल सका है और न इनके लिए पत्रकार सुरक्षा कानून ही लागू हो सका है। जिससे पत्रकारों में भारी क्षोभ है।

अतः मैं सरकार से उक्त स्थिति में पत्रकारों की सुरक्षा हेतु महाराष्ट्र सरकार के तर्ज पर 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने के संबंध में सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह0/- नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक :बि0प0अ0प्र0-139/2018 – 638 (1) वि.प. पटना,दिनांक- 19.03.2018

प्रतिलिपि :- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ गृह विभाग ,बिहार/ सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार/ श्रम संसाधन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित ।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23/3/2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 19.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बी.आर.ए. विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कार्यालय आदेश सं.बी./135, दिनांक – 20.02.2018 के द्वारा पंडित उमा शंकर तिवारी महिला महाविद्यालय बगहा (पश्चिम चम्पारण) एवं अन्य दो महाविद्यालय, बी.पी.एस. कॉलेज, देसरी, पंडित यमुना कार्यी कॉलेज, बगाही में विधिवत गठित क्रियाशील शासी निकास को भंग कर नियम विरुद्ध कुलपति और कुल सचिव द्वारा तदर्थ समिति का गठन कर दिया गया है। अभिषद की बैठक में उक्त तदर्थ समिति के गठन पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। क्योंकि महाविद्यालय शासी निकाय, विश्वविद्यालय के सभी नियम-कानून और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करता रहा है। साथ ही ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के पूर्व परिनियम के अध्याय xiii के अनुच्छेद (2) (i) का पालन किया जाना है, जो नहीं किया गया।

अतः उक्त तीन महाविद्यालयों के हित में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या-बी./135, दिनांक – 20.02.2018 एवं अन्य दो कार्यालय आदेश को निरस्त करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह0/-संजय प्रसाद
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-118/2018 – 608 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपिः- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 16.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

परीक्षा नियंत्रक, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक – 169 दिनांक – 05.03.2018 द्वारा प्रधान निरीक्षकों एवं सह-परीक्षकों को मूल्यांकन पारिश्रमिक के रूप में नब्बे प्रतिशत राशि का ही भुगतान करने का पत्र निर्गत किया गया है और दस प्रतिशत राशि रोक ली गयी है । अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की सामाजिक विज्ञान विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में नियुक्ति नहीं की गयी है,जिससे उक्त विषय के अधिकांश शिक्षक, परीक्षक बनने से वंचित हो गये हैं । समिति के इस निर्णय से शिक्षकों में असंतोष है ।

अत: मैं सरकार से सदन में समिति द्वारा इस रोक को हटाने और संशोधित आदेश निर्गत करने के संबंध में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

1. ह0/- केदारनाथ पाण्डेय,स0वि0प0
2. ह0/-प्रो0 संजय कुमार सिंह,स0वि0प0 एवं
3. ह0/- संजीव कुमार सिंह, स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-117/2018 – 607 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 16·03·2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

माननीय सभापति महोदय,

कुलसचिव, जयप्रकाश विश्वविद्यालय , छपरा के ज्ञापांक – 2977 (R) दिनांक – 28.02.2013 द्वारा जेड ए इस्लामिया कॉलेज,सीवान (एक अल्पसंख्यक इकाई) में स्नातकोत्तर के सात विषय एवं स्नातक के चार विषयों में स्थायी संबंधन के संबंध में निदेशक (उच्च शिक्षा) शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को कार्रवाई हेतु अनुशंसा की गई है। स्थायी संबंध के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ एफिलियेशन एंड न्यू टीचींग प्रोग्राम कमिटी, अभिषद् एवं अधिषद् के कार्यवृत को भी संलग्न कर शिक्षा विभाग को भेजे जाने के बावजूद अभी तक स्थायी संबंधन के संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई वर्षो से लंबित है जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संस्था आयोग ने भी इस संबंध में दिशा निर्देश दिया है। साथ ही माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर विषयों में नामांकन में इस अल्पसंख्यक संस्थान को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा नहीं की जा रही है।

अतः जेड ए. इस्लामिया कॉलेज, सीवान में स्नातकोत्तर के सात विषय और स्नातक के चार विषयों में स्थायी संबंधन देने तथा नामांकन में संवैधानिक अधिकारों के पालन में आनाकानी पर सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

1. ह0/- राजेश राम, स0वि0प0
2. ह0/- केदारनाथ पाण्डेय,स0वि0प0
3. ह0/-दिलीप कुमार चौधरी,स0वि0प0
4. ह0/-प्रो0संजय कुमार सिंह,स0वि0प0 एवं
5. ह0/- संजीव कुमार सिंह,स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-116/2018- 606 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 16.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 108979 पद रिक्त हैं और अपर प्राथमिक शिक्षक के 73965 पद रिक्त हैं । इतने अधिक पद रिक्त रहने के कारण शिक्षक एवं छात्र का अनुपात 1:52 से भी बहुत अधिक बढ़ गया है । शिक्षा के अधिकार अधिनियम , 2009 के आलोक में नामांकन के आधार पर छात्र शिक्षकों का अनुपात 30:1 एवं 35:1 होना चाहिए । राज्य में टी.ई.टी. उत्तीर्ण हजारों अभ्यर्थी अपनी बहाली की बाट जोह रहे हैं वहीं राज्य में हजारों- हजार शिक्षकों के पद वर्षो से रिक्त पड़े हुए हैं । राज्य में शिक्षा की हालत अत्यंत दयनीय होती जा रही है और ऐसी ही स्थिति रही तो आगे आनेवाले वर्षों में समाज की हालत बहुत दयनीय हो जायेगी । शिक्षकों की बहाली के संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों की विभाग जान-बूझकर अवहेलना कर रहा है ।

अत: राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों पर टी.ई.टी. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की तुरंत बहाली करने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

1. ह0/-हरि नारायण चौधरी, स0वि0प0
2. ह0/- दिलीप कुमार चौधरी स0वि0प0
3. ह0/- दिनेश प्रसाद सिंह, स0वि0प0
4. ह0/- राम लषण राम 'रमण',स0वि0प0 एवं
5. ह0/- केदारनाथ पाण्डेय ,स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-115/2018 – 605 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार / प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 16.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

जिला शिक्षा पदाधिकारी के पत्रांक – 4965 दिनांक – 30.11.2016 के द्वारा पंचायत सचिव पंचायती राज भैरवार बेगूसराय को नव. प्रा. वि. धानुकटोला पनसल्ला, जो काफी दिनों पूर्व से एक शिक्षकीय विद्यालय के रूप में संचालित , को विद्यालय में प्रा. वि. कामाथान भैरवार से राम पुकार कुमार एवं सिन्टू कुमार झा पंचायत शिक्षक को नव. प्रा. वि., धानुकटोला पनसल्ला में योगदान हेतु पंचायत सचिव को आदेश प्राप्त कराया गया था लेकिन पंचायत सचिव ग्राम पंचायत राज, भैरवार के द्वारा उक्त आदेश की पूर्णतौर पर अनदेखी करते हुए आज की तिथि तक सामंजन हेतु आदेश निर्गत नहीं किया गया है ।

अत: उक्त शिक्षकों के सामंजन की कार्रवाई यथाशीघ्र करने हेतु सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ ।

ह0/-दिलीप कुमार चौधरी
स0वि0प0

ज्ञापांक :- वि.प.अ.प्र.-114/2018 – 604 (1) / वि.प.।   पटना, दिनांक- 16.03.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण,बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार /प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 23.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगें।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए ।

नवल किशोर सिंह 16.03.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्